न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या 42/2015 (अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट)

सुन्दर पुत्र भदई जाति जाटव निवासी ग्राम गांगरसौली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बृजो पुत्र कान्हा
2. करूआ पुत्र कान्हा
3. शेरसिंह पुत्र रामकिशन

} जाति जाट निवासी गांगरसौली तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश खिलाफ आदेश तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 9.7.2015 पत्रावली संख्या 1/2014 सुन्दरलाल बनाम बृजो

उपस्थितः— 1. श्री गम्मनसिंह वकील अपीलान्ट।

2. श्री महाराजसिंह वकील रैस्पोडेन्टस।

दिनांक 14.12.2017

निर्णय

यह अपील राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के अंतर्गत तहसीलदार कुम्हेर की आज्ञा दिनांक 9.7.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत के समक्ष अपीलान्ट जो एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है के द्वारा एक प्रार्थना अंतर्गत धारा 183 बी के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 256 /0.05 ऐयर वाकै ग्राम गांगरसौली तहसील कुम्हेर जिस पर वह काबिज खातेदार काश्तकार है पर रैस्पोडेन्ट जो सवर्ण जाति के है द्वारा जबरन कब्जा कर लिया है जिसे वापिस दिलाया जावे। तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 14.2.2008 से यह माना कि विवादित भूमि आबादी क्षेत्र में स्थित है और उस पर रैस्पोडेन्टस के मकानात आदि बने हुये है । राजस्व अभिलेख में प्रविष्ठियां अपीलान्ट के नाम हो रही है जो मौके के विपरीत है। भूमि पर काश्त होना भी नहीं पाया गया। इसके अलावा इस संबध में दीवानी दावा भी विचाराधीन है इसलिऐ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 बी तहत अदालत द्वारा दिनांक 14.2.2008 को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.9.2008 को निर्णय पारित करते हुये अपील स्वीकार की गई तथा प्रकरण तहसीलदार कुम्हेर को रिमाण्ड किया गया। तदोपरान्त न्यायालय हाजा के रिमाण्ड निर्णय दिनांक 29.9.2008 की निगरानी रैस्पो0 द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष पेश की गई । माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 25.4.2014 को इस प्रकरण में निर्णय पारित करते हुये निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 29.9.2008 में पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड की हद तक यथावत रखते हुये अन्य निर्देशों को अपास्त किया गया। तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर द्वारा प्रकरण में पारित राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय 25.4.2014 की पालना में अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.7.2015 पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में तहत अदालत द्वारा अपने पूर्व निर्णय 14.2.2008 (जिसमें अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 बी खारिज किया गया था) को विधिसम्मत मानते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 बी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खारिज किया जाता है की आज्ञा पारित की गई है। जिससे व्यथित होकर पुनः अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। तहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी अनुसूचित जाति की है जो कृषि भूमि है। रैस्पोडेन्ट जो जाट जाति का व्यक्ति है ने कब्जा काश्त कर लिया है। आर0टी0एक्ट की धारा 183 बी के तहत तहसीलदार कुम्हेर को अनुसूचित जाति की आराजी की हिफाजत करते हुये गैर अनुसूचित जाति के कब्जे को हटाया जाना चाहिऐ था किन्तु तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित कर एक अनुसूचित जाति के हक हकूको को अनदेखा ही नहीं बल्कि आरटीएक्ट की धारा 183 बी की मंशा के विपरीत कार्य किया है जो यकीनन एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के प्रति अन्याय है इसलिऐ यह अपीलाधीन आदेश विधिसंगत न होने के कारण निरस्त योग्य है। इसके अलावा श्रीमान की अदालत एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेशों की भी अवहेलना की गई है। क्यों कि माननीय मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.4.2014 में यह स्पष्ट किया है कि जो अनुससूचित जाति का व्यक्ति नहीं है वह अनुसूचित जाति की आराजी पर कब्जा काश्त नहीं कर सकता यदि करता है तो उसे धारा 183 बी आरटीएक्ट के तहत बेदखल किया जाता है। बाबजूद इसके तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो त्रुटीपूर्ण है। तहत अदालत ने विवादित भूमि को आबादी मानने में भूल की है। जबकि राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि इस समय भी कृषि भूमि ही है तथा काश्त होने का भी उल्लेख है। यदि कोई अनुसूचित जाति की कृषि भूमि पर कोई गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति लठ्ठ के बल पर जबरन गोतबाडा इत्यादि बना लेता है तो उस भूमि की किस्म परिवर्तन नहीं हो जाती है । किस्म जमीन राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होती है। इस आदेश की जानकारी होते ही दिनांक 17.7.2015 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं दिनांक 20.7.2015 को नकल प्राप्त की गई वकील से सलाह मशविरा एवं अपील की तैयारी में अपील प्रस्तुतीकरण में देरी हुई है जो क्षमा योग्य है जिसके लिये धारा –5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अन्त में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.7.2015 बगैर रिकार्ड/मौका देखे एवं वगैर अन्वीक्षा किये पारित कर दिया गया है जो अपीलान्ट के हक हकूकों को प्रभावित करने वाला है इसलिऐ अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.7.2015 अपास्त किया जावे तथा प्रार्थना पत्र 183 बी स्वीकार किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.7.2015 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 183 बी अधिकारक्षेत्र से बाहर एवं मिथ्या भावना से प्रस्तुत किया गया है । विवादित भूमि पचासों सालों से आबादी के काम आ रही है और रैस्पोडेन्टस पुरखों के समय से ही इस भूमि पर निवास करते चले आ रहे है। इस भूमि पर रैस्पोडेन्टस के मकान, नौहरे, गौतवाडा इत्यादि बना कर परिवार सहित निवास कर रहे है। अपीलान्ट का इस भूमि से कोई संबध ही नहीं है। मौके पर आबादी है तथा रिकार्ड में कृषि है तो भी प्रार्थना पत्र 183 बी के माध्यम से बेदखली नहीं की जा सकती। आबादी भूमि पर 183 बी के प्रावधान लागू नहीं होते है। इस आराजी के आबादी में होने के कारण घोषणा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद श्रीमान अपर सिविल न्यायाधीश क0ख0 संख्या–एक भरतपुर के यहां विचाराधीन है जिमसें पाबन्दी आदेश भी जारी किया हुआ है। इसलिये भी धारा 10 सी पी सी के अनुसार यह कार्यवाही तहत अदालत में चलने योग्य नहीं थी इसलिऐ दौराने नियमित वाद 183 बी की कार्यवाही को रोका जाना चाहिऐ। इसके अलावा न तो मौके पर कभी काश्त हुई है न ही भूमि कभी अपीलान्ट के कब्जे में रही है। धारा 5(24) के अनुसार कृषि भूमि के काम नहीं आने के कारण प्रकरण चलने योग्य ही नहीं है। आरटीएक्ट एवं एलआरएक्ट के प्रावधानों के तहत केवल कृर्षि भूमि के संदर्भ में ही बेदखल किये जाने का प्रावधान है न कि आबादी भूमि के संदर्भ में। जब मौके पर रैस्पोडेन्टस के पुख्ता मकान इत्यादि बने हुये है जिनमें रैस्पोडेन्ट अपने परिवार के सहित निवास करते है तो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उन्हें 183 बी आरटीएक्ट के तहत बेदखल किया जाना उचित नहीं है। मौके की स्थिति बाद परीक्षण तहत अदालत के समक्ष स्पष्ट हो चुकी है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह न्याय संगत है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.7.2015 बहाल रखे जाने एवं अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

" Liberal view should be Taken in Cononing The Dely in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील में मुख्यतः यह बिन्दु तय किया जाना है कि क्या वास्तव में अपीलान्टस की खातेदारी की आराजी पर रैस्पोडेन्ट के द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है अथवा नहीं ? क्या रैस्पोडेन्टस अपीलान्टस की खातेदारी में कोई अपना हक हकूक रखते है ? यदि नहीं रखते है तो किस हैसियत से अपीलान्टस की खातेदारी की भूमि पर काबिज है ? मौके पर किसी खातेदार की आराजी पर किसी अतिक्रमी का अवैध कब्जा पाये जाने पर

अवैध कब्जे के खिलाफ कार्यवाही कर उसका हटाया जाना हमारे ख्याल से न्याय संगत रहता है साथ ही यह तहत अदालत का दायित्व भी है। धारा 188 आरटीएक्ट के तहत दावा विचाराधीन होना एक अलग बिन्दु है। यदि विवादित आराजी पर रैस्पोडेन्टस का कोई विधिक हकूक है ही नहीं तो उसे वेदखल किया जाना ही न्याय है। विवादित आराजी व उसके रिकार्ड/मौके की वास्तविकता से रूबरू होते हुये तहसीलदार को प्रार्थना पत्र 183 बी को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया जाना चाहिऐ था। जिसके लिये तहत अदालत पूर्णरूपेण सक्षम है। पटवारी यह तय नहीं कर सकता कि भूमि की किस्म क्या है ? भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड अनुसार ही तय होती है। मौके पर कृषि भूमि पर काश्त नहीं होने से यह कदापि नहीं माना जा सकता कि उस जमीन की किस्म परिवर्तित हो गई है किस्म परिवर्तन (भूमि–रूपान्तरण) का बकायदा एक प्रोसिजर होता है जिसके तहत किसी भूमि की किस्म नियमानुसार परिवर्तन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाता है तदोपरान्त उस भूमि की किस्म को परिवर्तित माना जाता है। केवल मौका विपरीत होने से राजस्व रिकार्ड नहीं बदल जाते। तहत अदालत ने अपने निर्णय दिनांक 14.2.2008 के पैरा संख्या 8 में अंकित किया है कि ''।.....राजस्व अभिलेख में जो प्रविष्टियां सायल/अपीलान्ट के नाम हो रही है वह मौके की स्थिति के विपरीत है.....''। जबकि माना यह जाना चाहिऐ था कि जो मौके की स्थिति है वह राजस्व रिकार्ड के विपरीत है। तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2063 लगायत 2066 से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 256 रकबा 0.05 है0 वारानी प्रथम बाबूलाल पुत्र परभाती की खातेदारी में है । जब राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि की किस्म स्पष्ट है तो उसे आबादी नहीं माना जा सकता। आर0टी0एक्ट की धारा 42 (ख) एवं धारा 183 बी के अंतर्गत पिछडे और कमजोर वर्गों के हितो/ हक हकूको की सुरक्षा के संदर्भ में स्पष्ट प्रावधान दिये गये है। जिनको अपीलाधीन आदेश के अंतर्गत अनदेखा किया जाना जाहिर होता है। अधिनियम की धारा 183 बी में संक्षिप्त कार्यवाही का प्रावधान अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिसकी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है को त्वरित कार्यवाही करके राहत दिलाने के लिये किया गया है। जिसके तहत तहसीलदार कुम्हेर को अनुसूचित जाति की खातेदारी की जमीन पर गैर अनुसूचित जाति के कब्जे की जांच कर तत्काल बेदखली की कार्यवाही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करनी चाहिऐ थी। लिहाजा तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.7.2015 आर0टी0एक्ट की धारा 42 (ख) एवं धारा 183 बी के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य ही रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.7.2015 निरस्त किया जाता है। तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर को हिदायत दी जाती है कि वे प्रकरण में राजस्व रिकार्ड एवं आर0टी0एक्ट की धारा 42 (ख) एवं धारा 183 बी के प्रावधानो की मंशा के अनुसार बाद परीक्षण अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2017 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ओ0पी0 जैन)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

भरतपुर